

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.12(2)नवि/मंडापुरा (बालोतरा)/2026

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, बालोतरा द्वारा राजस्व ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 217 रकबा 0.7082 हैक्टेयर व 4360/1123 रकबा 3.4071 हैक्टेयर कुल रकबा 4.1153 है, में मंडापुरा बहुउद्देशीय वाणिज्यिक योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानुसार हैं:-

उत्तर:-ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 1124/207

दक्षिण:-ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 218, 2185/218 व 1131/215

पूर्व:- ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 1120/207

पश्चिम:-ग्राम मंडापुरा के खसरा नं. 4359/1123 व 221

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बालोतरा।

7. सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा ।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर ।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधुपर जोन, जोधुपर ।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं ।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव—प्रथम